हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171004, 4 सितम्बर, 2008

संख्या वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक/1–66/2008.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 4 सितम्बर, 2008 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ता0/–
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

2008 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं और वृत्तिक (व्यावसायिक) तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन करने और फीस का नियतन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2008 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह 30 मई, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा :— लागू होना।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संवर्धित और अनुरक्षित से अन्यथा विश्वविद्यालय माने जाने वाली संस्थाओं या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों या इसकी घटक इकाईयों; और जो तकनीकी व्यावसायिक या वृत्तिक शिक्षा प्रदान कर रही हैं; और

(ख) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध प्राइवेट सहाय्यित या असहाय्यित तकनीकी व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाएं, जो
1956 का 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ङ) के अधीन स्थापित की गई हैं।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ”सहाय्यित संस्था” से केन्द्रीय या राज्य सरकार से या सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता का संवितरण करने वाली केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निकाय से पूर्णतः या भागतः वित्तीय अनुदान या सहायता प्राप्त कर रही प्राइवेट तकनीकी संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था भी होगी;

(ख) ”सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एन्ट्रस टेस्ट)” से तकनीकी या वृत्तिक पाठ्यक्रम (कोर्स) में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा या ऐसी अधिसूचना होने तक राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) ”फीस” से प्रवेश के विभिन्न प्रवर्गों अर्थात् सामान्य सीटों, प्रबन्धन सीटों और अनिवासी भारतीय कोटा के लिए अध्यापन फीस और विकास प्रभारों सहित समस्त फीस अभिप्रेत है;

(घ) ”सामान्य प्रवर्ग” से राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में भरे जाने के लिए आबंटित, प्रबन्धन प्रवर्ग की सीटों (स्थानों) को छोड़कर, संस्था के लिए मंजूर स्थानों (इनटेक) में से सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी;

(ङ) ”प्रबन्धन प्रवर्ग” से संस्था के प्रबन्धन के लिए आबंटित मंजूर स्थानों (इनटेक) में से उस द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा अवधारित पारस्परिक योग्यता (इण्टर–से–मैरिट) के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में भरे जाने वाले स्थान अभिप्रेत और विवक्षित होंगे;

(च) ”तकनीकी या वृत्तिक (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम” से इन्जीनियरिंग, फार्मेसी, नॉन इन्जीनियरिंग में अनुमोदित वृत्तिक पाठ्यक्रम या व्यावसायिक पाठ्यक्रम या तकनीकी शिक्षा का कोई अन्य

पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जो उस पाठ्यक्रम को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हैं;

(छ) "अनिवासी भारतीय छात्र" से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के प्रतिपाल्य (वार्ड) अभिप्रेत हैं तथा जिन्होंने विदेश से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ज) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत होगी;

(झ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत होगा;

(ञ) "प्राइवेट तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण या परिकरण द्वारा स्थापित न हो या संवर्धित न हो या चलाई न जाती हो;

(ट) "अर्हता परीक्षा" से सम्बन्धित कानूनी प्राधिकरण द्वारा तकनीकी या वृत्तिक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सत्र (सेमेस्टर) में प्रवेश के लिए विहित न्यूनतम पात्रता अर्हता या इसके समकक्ष अभिप्रेत है;

(ठ) "मंजूर स्थान (इनटेक)" से राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट इन्जीनियरिंग या व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु कुल मंजूर की गई सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी;

(ड) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ण) "असहाय्यित संस्था" से सहायता प्राप्त न करने वाली प्राइवेट इन्जीनियरिंग या व्यावसायिक संस्था अभिप्रेत है।

प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना।

4. (1) राज्य सरकार प्राइवेट तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रवर्गों के लिए प्रवेश को विनियमित करेगी, फीस नियत करेगी और आरक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी संस्था में सभी प्रवर्गों के अन्तर्गत प्रवेश निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में दिया गया है।

(3) राज्य सरकार, सचिव (तकनीकी शिक्षा) की अध्यक्षता में ऐसे सदस्यों, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किएं जाएं, से मिलकर बनने वाली एक प्रवेश और फीस समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है), राज्य सरकार को प्रवेश देने, आरक्षण करने, सीटों (स्थानों) का आबंटन करने तथा फीस की रीति की सिफारिश करने के लिए, गठित करेगी।

(4) राज्य सरकार प्रवेश और फीस समिति के कार्यकरण का निरीक्षण करेगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन गठित समिति और इसके सदस्यों के निबंधन और शर्तें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(6) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से ऐसी संस्था की मान्यता या सहबद्धता को प्रत्याहृत करने के लिए सिफारिश कर सकेगी।

(7) राज्य सरकार संस्थाओं में प्रवेश की पद्धति में सुधार लाने, संस्थाओं द्वारा फीस प्रभारित करने और किसी अन्य मामले, जो पद्धति के निर्बाध परिचालन को सुकर बनाने तथा शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक हों, की बाबत समुचित कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक समझी जाए, करेगी।

(8) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझीं जाएंगी कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

(9) कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट सहाय्यित या असहाय्यित संस्था से सहयुक्त है प्रवेश और फीस समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) प्रवेश और फीस समिति का सदस्य यदि ऐसा कोई कृत्य करता है जो राज्य सरकार की राय में समिति का सदस्य बने रहने की दृष्टि से अशोभनीय है तो वह उसका सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु समिति के ऐसे किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाया नहीं जाएगा।

(11) प्रवेश और फीस समिति राज्य सरकार द्वारा इस बाबत अधिसूचित विनियमों के अनुसार स्वयं अपनी प्रक्रिया विरचित कर सकेगी।

(12) प्रवेश और विनियमन समिति किसी प्राइवेट सहाय्यित या असहाय्यित वृत्तिक (व्यावसायिक) शैक्षणिक संस्था या माने जाने वाले विश्वविद्यालय से, विहित तारीख तक ऐसी सूचना, जो समिति को, ऐसी फीस, जो संस्था द्वारा प्रत्येक वृत्तिक (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम की बाबत नियत की जा सकेगी, का निर्धारण करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा कर सकेगी और इस प्रकार अवधारित की गई फीस ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

5. (1) प्राइवेट तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु पात्रता मापदण्ड ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित और अधिसूचित किया जाए। प्रवेश के लिए पात्रता मापदण्ड।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा संचालित करवा सकेगी या किसी अन्य अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की योग्यता (मैरिट) अंगीकार कर सकेगी। तथापि राज्य सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में, अर्हता परीक्षा में प्राप्त योग्यता (मैरिट) को स्वीकार कर सकेगी।

(3) प्रवेश सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाने वाली रीति और प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में, प्रत्येक तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु सभी प्रवर्गों में विद्यार्थियों के केन्द्रीकृत काउॅंसलिंग द्वारा आवेदनों की केन्द्रीकृत प्राप्तियों द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग में सामान्य प्रवेश परीक्षा या किसी अन्य अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा में योग्यता (मैरिट) के आधार पर नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

सीटों (स्थानों) का आबंटन।

6. (1) प्राइवेट तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्था कुल मंजूर स्थानों (इनटेक) के कम से कम साठ प्रतिशत स्थान सामान्य स्थानों (ओपन सीटस) के रूप में आरक्षित करेगी जो कानूनी आरक्षणों, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, सहित धारा 5 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार भरे जाएंगे।

(2) प्राइवेट तकनीकी व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्था में योग्यता (मैरिट) के क्रम में कुल मंजूर स्थानों (इनटेक) के पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक स्थान अनिवासी भारतीयों के बच्चों या प्रतिपाल्य में से धारा 5 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार भरे जाएंगे :

परन्तु ऐसी सीटों (स्थान) का अनिवासी भारतीयों द्वारा केवल सद्भावपूर्वक उपयोग किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, प्राइवेट तकनीकी व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रबन्धन सीटों (स्थानों) की प्रतिशतता अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी। प्रबन्धन सीटें (स्थान) योग्यता (मैरिट) के क्रम में धारा 5 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएंगी।

7. समस्त प्राइवेट तकनीकी शैक्षणिक और वृत्तिक संस्थाएं, नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसे विस्तार तक, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस बाबत विद्यमान विधि के अनुरूप राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, सामान्य प्रवर्ग तथा प्रबन्धन प्रवर्ग में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान) आरक्षित करेगी। सीटों (स्थानों) का आरक्षण।

8. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, राज्य में स्थित प्राइवेट तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा समस्त प्रवर्गों के प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस का सम्पूर्ण रूप से अवधारण करेगी, अर्थात् :– फीस नियत करना।

(क) संस्था की अवस्थिति;

(ख) तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति;

(ग) भूमि तथा भवन की लागत;

(घ) उपलब्ध अवसंरचना तथा उपस्कर;

(ङ) संकाय, प्रशासन तथा रख–रखाव पर उपगत या उपगत किए जा रहे व्यय;

(च) संस्था के संवर्धन तथा विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त लाभ (उपरोक्त मूल फीस के दस से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं); और

(छ) कोई अन्य सुसंगत बात, जिसे राज्य सरकार फीस के अवधारण के लिए न्यायोचित तथा समुचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन फीस का अवधारण करने से पूर्व, यथास्थिति, उक्त समिति सम्बद्ध तकनीकी, व्यावसायिक और वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं में पहले से ही अध्ययनरत छात्रों के प्रतिनिधियों तथा उन छात्रों के

प्रतिनिधियों, जो उन संस्थाओं में प्रवेश चाहते हैं, को फीस के अवधारण की बाबत लिखित में अपने विचार बिन्दुओं को अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार लोक हित में अनन्तिम फीस अवधारित कर सकेगी :

परन्तु उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अनन्तिम फीस के नियतन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फीस नियत की जाएगी।

(4) कोई संस्था किसी भी परिस्थिति में किसी छात्र से एक शैक्षणिक वर्ष से अधिक अवधि के लिए फीस प्रभारित नहीं करेगी। तथापि संस्था के हित के संरक्षण के लिए यह छात्र से अतिशेष फीस के लिए बन्ध पत्र या बैंक गारंटी की अपेक्षा कर सकेगी।

उल्लंघनों से निपटने के लिए क्रियाविधि।

9. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना के उल्लंघन की बाबत परिवादों (शिकायतों) को ग्रहण करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक नोडल अधिकारी, जो राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना के उल्लंघन के लिए स्वप्रेरणा से अवेक्षा कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथनों पर या स्वप्रेरणा पर जांच करवा सकेगी और निम्नलिखित कार्रवाईयां कर सकेगी, अर्थात्ः—

(क) परिवाद को दाखिल—दफ्तर कर सकेगी,यदि इसकी राय में यह तंग करने वाला, अनाम या छद्मनाम वाला परिवाद है;

(ख) परिवादी को अतिरिक्त सूचना देने या अपने अभिकथनों के समर्थन में शपथ—पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी; या

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जैसी यह समुचित समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन जांच का संचालन करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और जांच पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(5) नोडल अधिकारी को, प्राइवेट तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाओं के अभिलेख को देखने, अभिप्राप्त करने तथा उनकी संवीक्षा करने के साथ ही किसी भी व्यक्ति या किसी सुसंगत शासकीय अभिलेख, जिसे वह आवश्यक समझे, को समन करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

10. (1) राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी प्राइवेट शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना का उल्लंघन किया है तो वह निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई कार्रवाई कर सकेगी, अर्थात् :— शास्तियां।

(क) ऐसी संस्था की सहबद्धता या मान्यता को विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध है, से प्रत्याहृत कराना;

(ख) ऐसी संस्था पर जुर्माना अधिरोपित करना जो अधिकतम पांच लाख रुपए के अध्यधीन, छात्रों से अधिक प्रभारित फीस की रकम के पन्द्रह गुणा से कम नहीं होगा, और जुर्माना जमा न कराने की दशा में यह भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा;

(ग) ऐसी संस्था को उस छात्र के प्रवेश या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के निदेश देना, जिसे संस्था में इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में प्रवेश दिया गया है; और

(घ) ऐसी संस्था को उस छात्र को प्रवेश देने के लिए निदेश देना, जिसको प्रवेश देने के लिए गलत तौर पर वंचित किया गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्तियां।

11. राज्य सरकार समय–समय पर तकनीकी शैक्षणिक और वृत्तिक संस्थाओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो उसकी राय में, इस अधिनियम या तद्धीन जारी अधिसूचनाओं के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और ऐसी संस्थाएं ऐसे जारी निदेशों की अनुपालना करेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

12. (1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

13. इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन जारी अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, उस सत्र के, जिसमें

वह इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के, अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2008 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्ति।

15. (1) हिमाचल प्रदेश प्राइवेट तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2008 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तदस्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की समाजिक–आर्थिक स्थितियां शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती है । विकास की गति को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्राइवेट तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का उपबंध करना तथा राज्य में प्राइवेट सेक्टर में स्थापित ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करने, युक्तियुक्त फीस संरचना नियत करने तथा सीटों (स्थानों) के आरक्षण के लिए क्रियाविधि का उपबन्ध करना अनिवार्य है ।

देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियां/प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव ला रहे हैं । राज्य सरकार को ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए प्रत्येक पृथक् मामले में अलग से विधान लाना अन्यथा अपेक्षित होगा। इसलिए यह समुचित समझा गया है कि एक ऐसा बहुप्रयोजनीय विधान लाया जाए जो ऐसी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन, युक्तियुक्त फीस संरचना के नियतन और सीटों (स्थानों) के आरक्षण का उपबन्ध करे। तद्नुसार यह विनिश्चय किया गया कि ऐसा विधान लाया जाए जो हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं और व्यावसायिक तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन, फीस के नियतन और सीटों (स्थानों) के आरक्षण के लिए उपबन्ध कर सके। प्रस्तावित विधान सामान्यता प्रवेश का विनियमन करने, फीस का नियतन करने, आरक्षण करने, सीटों (स्थानों) का आबंटन करने, प्रवेश के लिए पात्रता मापदण्ड नियत करने और उल्लंघनों से निपटने हेतु क्रियाविधि के लिए उपबन्ध करने के साथ–साथ विधान के उपबन्धों के उल्लंघनों की दशा में शास्तियों के लिए भी उपबन्ध करता है । समस्त प्राइवेट तकनीकी शैक्षणिक और वृत्तिक (व्यावसायिक) संस्थाओं में सामान्य प्रवर्ग और प्रबन्धन प्रवर्ग में प्रवेश के लिए सीटें (स्थानों) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए ऐसे विस्तार तक, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आरक्षित रखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा प्रवेश और फीस समिति गठित की जाएगी जो प्रवेश की रीति, आरक्षण करने, सीटों (स्थानों) का आबंटन करने और सीटों (स्थानों) की संख्या नियत करने आदि के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगी । मामले की अनिवार्यतः के दृष्टिगत एक अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था क्योंकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश प्राइवेट तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया जाना अनिवार्य था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड

(1) के अधीन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2008 (2008 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) 29 मई, 2008 को प्रख्यापित किया गया जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 30 मई, 2008 को प्रकाशित किया गया। अब उपर्युक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश का बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नरेन्द्र बरागटा,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख .... सितम्बर, 2008

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। इसलिए इस पर राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 14 राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

Bill No. 15 of 2008

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) BILL, 2008

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for regulation of admission and fixation of fee in Private Technical Educational Institutions and Professional Technical Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act , 2008.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on 30th of May, 2008.

Applicability.

2. This Act applies to,—

(a) The institutions deemed to be Universities, or Universities established under a State Act or constituent units thereto, other than those promoted and maintained by the Central Government; and imparting technical vocational or professional education; and

(b) The private aided or unaided technical , vocational or professional educational institutions affiliated to a University, which has been established under section 2(f) of the University Grants Commission Act,1956. 3 of 1956

Definitions. **3.** In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "aided institution" means a Private Technical Institution, receiving financial aid or assistance in whole or in part from the Central or the State Government or from any Body, under the control of Central or the State Government disbursing grant- in- aid or financial assistance and shall include a minority institution;

(b) "common entrance test" means an entrance test for the purpose of admission to a technical or professional course conducted by an agency authorized by the State Government, by a notification published in the Official Gazette or, pending such notification, by the State Government;

(c) "fee" means all fee including tuition fee and development charges for various categories of admissions viz . open seats , management seats and Non-Resident Indian quota;

(d) "general category" shall mean and imply seats from out of the sanctioned intake of institution; not being seats in the management category, allocated to be filled by the State Government in the manner prescribed;

(e) "management category" shall mean and imply seats from out of the sanctioned intake allotted to the management of the institution for being filled by it in a fair and transparent manner, on the basis of the

inter-se merit determined by a common entrance test;

(f) "technical or professional course" means any approved professional course in engineering, pharmacy, non- engineering or vocational courses or any other course of technical education which are recognized or approved under the respective Act governing that course;

(g) "Non-Resident Indian Student" means the wards of Indian citizens residing abroad and who have passed the qualifying examination from abroad;

(h) "notification" shall mean a notification published, under proper authority, in the Official Gazette;

(i) "Official Gazette" shall mean the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(j) "private technical, vocational or professional educational institution" means an institution not established or promoted or run by the Central Government, the State Government or the Union Territory Administration or any agency or instrumentality of the Central or the State Government;

(k) "qualifying examination" means the minimum eligibility qualification or its equivalent prescribed by the concerned statutory authority for taking admission in first year/semester of the technical or professional course;

(l) "sanctioned intake" shall mean and imply the total number of seats sanctioned by the State Government

for admitting students in each course of study in a private engineering or vocational institution;

(m) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(n) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(o) "unaided institution" means a private engineering or vocational institution, not being an aided institution.

Regulation of admission, fixation of fee and making of reservation.

4. (1) The State Government shall regulate admission, fix fee and make reservation for different categories in admissions to private technical, vocational or professional institutions.

(2) The State Government shall ensure that the admission under all the categories in an institution is done in a fair and transparent manner.

(3) The State Government shall constitute a Admission and Fee Committee under the Chairmanship of Secretary (Technical Education) (hereinafter referred to as the 'Committee'), consisting of such members as may be specified by the State Government, by notification, to recommend the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fees etc. to the State Government.

(4) The State Government, shall oversee the working of Admission and Fee Committee.

(5) The terms and conditions of the Committee constituted under sub-section (3) and its members shall be specified, by the State Government, by notification, from time to time.

(6) If the State Government is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of this Act, it may recommend to the Himachal Pradesh University or All India Council for Technical Education or National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training , as the case may be, for withdrawal of recognition or affiliation of such institution.

(7) The State Government shall take appropriate action whenever deemed necessary, with regard to improvement in the system of making admissions in the institutions, charging of fee by the institutions and on any other matter which may be necessary to facilitate smooth running of the system and to remove grievances.

(8) No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Committee.

(9) No person who is associated with a private aided or unaided institution shall be eligible for being a member of the Admission and Fee Committee.

(10) A member of the Admission and Fee Committee shall cease to be so, if he performs any act which in the opinion of the State Government is unbecoming of a member of the Committee:

Provided that no such member shall be removed from the Committee, without giving him an opportunity of being heard.

(11) The Admission and Fee Committee may frame its own procedure in accordance with the Regulations notified by the State Government in this regard.

(12) The Admission and Fee Committee may require a private aided or unaided professional educational institution or, a deemed to be University to furnish, by a prescribed date, information as may be necessary for enabling the Committee to determine the fee that may be fixed by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as may be notified by the State Government.

Eligibility criteria for admission.

5. (1) The eligibility criteria for admission to a private technical, vocational or professional educational institution shall be such, as may be determined and notified by the State Government from time to time.

(2) The State Government may get a common entrance test conducted or adopt merit of any other all India level competitive examination for admission to each such educational course. However, in case of Industrial Training Institute or Industrial Training Centre and Vocational Training Centre, the State Government may go by merit obtained in the qualifying examination.

(3) The admission shall be made on the basis of common entrance test or any other all India level examination in accordance with merit in each category as per rules and by way of centralized receipt of applications, and by making centralized counseling of such students in all the categories for each technical course, in a fair and transparent manner in accordance with the manner and procedure as may be determined by the State Government from time to time.

Allocation of seats.

6. (1) A private technical, vocational or professional educational institution shall reserve not less than sixty percent seats of the total sanctioned intake as open seats which shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 5, with statutory reservations as may be determined by the State Government.

(2) In a private technical vocational or professional educational institution not more than fifteen percent seats of total sanctioned intake shall be filled up from amongst children or wards of Non-Resident Indians in order of merit as per provisions of sub-section (3) of section 5:

Provided that such seats shall be utilized bona fide by the Non-Resident Indians only.

(3) The State Government may, by notification, fix the percentage of management seats in private technical vocational or professional educational institutions. The management seats shall be filled in the order of merit as per provision of sub-section (3) of section 5.

Reservation of seats.

7. All private technical educational and professional institutions shall reserve seats for admission in general category and management category, for advancement of socially and educationally backward classes and for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to such extent, as may be notified by the State Government in the Official Gazette, from time to time in conformity with prevailing law in this regard.

Fixation of fee.

8. (1) The Committee appointed by the State Government shall determine fee, to be charged by a private technical , vocational or professional educational institution, located in the State, having regard to the following factors, for all categories of admissions as a whole, namely:—

(a) the location of the institution;
(b) the nature of the technical, vocational or professional courses;
(c) the cost of land and building;
(d) the available infrastructure and equipments;
(e) the expenditure incurred or being incurred on the faculty, administration and maintenance;

(f) the reasonable profit, required for the growth and development of the institution (not being more than 10% to 12% of the basic fee determined as above); and

(g) any other relevant factor, which the State Government deem just and appropriate for the determination of fee.

(2) Before determining fee under sub-section (1) , the said Committee shall give the concerned technical, vocational or professional educational institutions and the representatives of the students already studying in such institutions and the representatives of the students, who intend to seek admission in those institutions, a reasonable opportunity to express their view points in writing with regard to the fee determination.

(3) Notwithstanding anything contained in sub- sections (1) and (2), the State Government may, in the public interest, determine a provisional fee:

Provided that the fee shall be fixed in accordance with the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) within a period of sixty days from the date of fixation of such provisional fee.

(4) No institution shall charge fee from any student for a period of more than one academic year in any circumstances. However, in order to safeguard interest of the institution, it may require submission of bond or Bank Guarantee from the student for the balance fee.

Mechanism for dealing with contraventions.

9. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Nodal Officer not below the rank of a Additional Secretary to the State Government for entertaining complaints with regard to the contravention of the provisions of this Act or any notification issued thereunder.

(2) The State Government may also take a suo-moto notice of the contravention of the provisions of this Act or any notification issued thereunder.

(3) The State Government may cause an enquiry to be made into the allegations levelled by the complainant or on its suo-moto initiative and take the following actions, namely:—

(a) file the complaint, if in its opinion, it is a vexatious, anonymous or pseudonymous complaint; or
(b) direct the complainant to furnish additional information or an affidavit in support of his allegations; or
(c) take such action ,as it may deem appropriate, keeping in view the facts and circumstances of the case.

(4) For conducting an enquiry under sub-section (3), a summary procedure shall be followed and the enquiry shall be completed within a period of forty five days.

(5) The Nodal Officer shall have the powers of a civil court to access, obtain and scrutinize the records of the private technical, vocational or professional educational institutions as well as summoning of any person or any relevant official record, which he may deem necessary.

10. (1) The State Government may, if it is satisfied that a private educational institution has contravened any of the provisions of this Act or any notification issued thereunder, take any or all of the following actions, namely:— Penalties.

(a) cause the withdrawal of affiliation or recognition of such institution from the university or any other authority or body to which such institution is affiliated;

(b) impose a fine on such institution which shall not be less than fifteen times of the amount of excess fee charges from the students subject to a minimum of rupees five lacs and in the event of non-deposit of fine, it shall be recoverable as arrear of land revenue;

(c) direct such institution to cancel the admission or registration of a student, who has been admitted to such institution in contravention of the provisions of this Act or the notification issued thereunder; and

(d) direct such institution to admit a student to whom admission has been wrongly denied.

(2) Before taking any action under sub-section(1), a reasonable opportunity of being heard shall be provided to such institution by the State Government.

Powers of the State Government to issue directions.

11. The State Government may, from time to time, issue to the technical educational and professional institutions such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the notifications issued thereunder and such institutions shall comply with the directions so issued.

Powers to remove difficulties.

12. (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the legislature of the State.

13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer or employee of the State Government or any other person or authority, authorized by the State Government for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Act or the notification issued thereunder. Protection of action taken in good faith.

14. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. Power to make rules.

(2) Rules made under sub-section (1) shall be subject to the condition of previous publication in the Official Gazette.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be,so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

15. (1) The Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance,2008 is hereby repealed. Repeal of Ordinance No. 1 of 2008 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in all around development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention towards education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to provide for establishment of Private Technical Educational Institution and a mechanism for regulating admission procedure, fixation of reasonable fee structure and reservation of seats in such Educational Institutions established in the private sector in the State.

Like other States in the country, societies/private sectors have been approaching the Government for establishing Private Technical Institutions. The State has been receiving many applications from such parties to establish Private Educational Institutions in the State. Establishment of such Private Educational Institutions in different fields would otherwise require separate legislation in each individual case. Thus, it is considered appropriate to bring an omnibus legislation which would provide for regulation of admission, fixation of reasonable fee structure and reservation of seats in such Private Educational Institutions. Accordingly, it was decided to bring a legislation which may provide for regulation of admission, fixation of fee and reservation of seats in Private Technical Educational Institutions and Professional Technical Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh. The proposed legislation broadly provides for regulation of admission, fixation of fee, making of reservation, allocation of seats, eligibility criteria for admission and mechanism for dealing with contraventions and also provides for penalties in case of contraventions of the provisions of the legislation. The seats in all Private Technical Educational and Professional

Institutions shall be reserved for admission in general category and management category for advancement of socially and economically backward classes and for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to such extent as may be notified by the State Government. Further, there shall be constituted Admission and Fees Committee, by the State Government, which shall recommend the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fee etc. to the State Government. Keeping in view urgency of the matter, it was decided to promulgate an Ordinance because the State Legislative Assembly was not in session.

Since, the State Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2008 had to be enacted urgently, therefore, the Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2008 (H.P. Ordinance No. 1 of 2008) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 29th May,2008 which was published in Rajpatra Himachal Pradesh on 30th May, 2008.

NARENDER BRAGTA,
Minister-in-Charge.

Shimla:
The September, 2008.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill, if enacted, shall be enforced by the existing Government machinery. Thus, there will be no additional expenditure out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 14 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.